संख्याः 383751 / E-51940/FCD/IRFC/FFCG/6/2023

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 **::देहरादून::** **दिनांकः 29 मार्च, 2026**

विषयः– **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त की धनराशि अंतरित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं– F-9(3)/FCD/2025, दिनांकः 27.03.2026 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त हेतु रू0 5967.78 लाख (रू0 उनसठ करोड़ सड़सट लाख अट्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि दिनांकः 27.03.2026 को अवमुक्त की गई है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार के उपर्युक्त शासनादेश दिनांकः 27.03.2026 के क्रम में आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त हेतु रू0 5967.78 लाख (रू0 उनसठ करोड़ सड़सट लाख अट्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में निम्न फॉट एवं संलग्न विवरणानुसार (संलग्नक–1) संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने हेतु आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र. सं.	निकाय का नाम	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि (रू0 हजार में)
1–	नगर निगमें	321415.00
2–	नगर पालिका परिषदें	222988.00
3–	नगर पंचायतें	52375.00
	योग	596778.00

3– उपर्युक्त अनुदान की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अन्तर्गत अंतरित की जानी हैः–

(1) शहरी विकास विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रेषित निकायवार आलेटमेन्ट सूची के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त हेतु प्राप्त टाईड अनुदान की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों अंतरित की जा रही है।

(2) निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) को तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में अनुदान की धनराशि निदेशालय स्तर पर रोकी नहीं जायेगी।

(3) अंतरित की जा रही धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने की तिथि दिनांकः 27.03.2026 से 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित निकायों को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की स्थिति में ब्याज सहित धनराशि का भुगतान किश्त के साथ संबंधित निकायों को किया जायेगा, जिसके लिये ***निदेशक, शहरी विकास विभाग/ संबंधित मुख्य कोषाधिकारी*** पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) स्थानीय निकाय अनुदान के उपयोग के संबंध में व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा शासनादेश सं0– सं0–F.15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांकः 28.07.2021 परिचालन दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त शासनादेश में निहित प्रावधानों तथा अवार्ड अवधि 2021–26 के लिये 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय–7 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

File No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 28/03/2026 07:43 pm

(5) राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15वें वित्त आयोग अनुदान के लिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में पृथक से खाता खोला गया है, जिसे पी.एफ.एम.एस. से लिंक किया जायेगा और आयोग की अवार्ड अवधि में प्रत्येक हस्तांतरण के लिये संरक्षित किया जायेगा।

(6) आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) को दो बराबर भाग में (50-50 प्रतिशत) विभाजित कर निम्नवत उपयोग किया जायेगाः–

a) अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित) हेतु किया जायेगा।

b) अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (MoH & UA) द्वारा विकसित स्टार रेटिंग की प्राप्ति के लिए किया जायेगा।

(7) भारत सरकार द्वारा कुल 116 निकायों में से प्रवेश स्तरीय शर्ते पूर्ण करने वाली 72 निकायों के लिये धनराशि अवमुक्त की गई है। 44 निकायों, जिनके द्वारा प्रवेश स्तरीय शर्ते पूर्ण नहीं की गई, उनके लिये धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। तद्नुसार ही निकायों को अनुदान की धनराशि अंतरित की जा रही है।

(8) संस्तुत अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु शत् प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के गैर–लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा ऑनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि उस वर्ष में पूर्ण अनुदान की धनराशि प्राप्त हो सके।

(9) संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने तथा उसे 2021–22 में उसका प्रचालन की संगत व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(10) किसी वर्ष के अनंतिम वार्षिक लेखाओं को प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष के लिए 15 मई तक रियल टाइम आधार पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। उदाहरण के लिए 2020–21 के लिए ऑनलाइन अनंतिम वार्षिक लेखाओं को 15 मई, 2021 तक उपलब्ध कराना होगा।

(11) वर्ष 2023–24 तथा आगे के वर्षो में अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत निर्धारित की गई हैः–

i. राज्य स्तर पर 2022–23 तक संपत्ति कर दर की न्यूनतम मूल्य दर अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

ii. पिछले वर्ष के गैर–लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा ऑनलाइन लेखा उपलब्ध हैं।

iii. शहरी स्थानीय निकाय ने राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप संग्रह में लगातार सुधार लाने की शर्त को पूरा कर लिया है।

(12) स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के संबंध में शहरी विकास विभाग/ संबंधित निकाय उत्तरदायी होगा।

(13) अंतरित धनराशि के संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित एनेक्सर–I व II पर (समस्त शहरी स्थानीय निकाय) संकलित सूचना विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2025 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(15) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित निकाय के मुख्य नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांकः 30 जुलाई, 2026 तक निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिए। निकायों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) शहरी विकास निदेशालय द्वारा समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि

File No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 28/03/2026 07:43 pm

का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(19) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर **"15वॉ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य"**, निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत अवश्य इंगित की जायेगी।

(20) **वित्तीय वर्ष 2025–26 आयोग की अवार्ड अवधि का अन्तिम वर्ष है। उक्त के दृष्टिगत 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान की पूर्ण धनराशि प्राप्त करने हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा प्रवेश स्तरीय शर्ते पूर्ण करने हेतु तत्परता के साथ कार्यवाही करना सुनिश्चित करना होगा। यदि प्रवेश स्तरीय शर्ते समय से पूर्ण नहीं की जाती है और इसके कारण कोई धनराशि लैप्स होती है, तो इसके लिये शहरी विकास विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।**

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 की अनुदान संख्याः 07 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगाः–

क.सं.	मानक मद का विवरण	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त हेतु प्रस्तावित अंतरण (ह0रू0 में)
1–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–02–नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	321415.00
2–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–04–नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	222988.00
3–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–06–नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	52378.00
योग		596778.00

संलग्नकः–यथोपरि।

Digitally signed by NAVNEET PANDE
Date: 29-03-2026 17:00:54

भवदीय,

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्याः 38375 **/ E-51940/FCD/IRFC/FFCG/6/2023, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी/ मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/ उप कोषाधिकारी, देहरादून।
11. समस्त संबंधित मुख्य नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

File No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SPO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 29/03/2026 07:43 pm

संलग्नक–1

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान **(Tied Grant)** के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि का विवरण

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त का अंतरण
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1–नगर निगमः–				
1-	देहरादून	1	देहरादून	108522
		2	ऋषिकेश	14756
2-	हरिद्वार	3	हरिद्वार	31977
		4	रूड़की	26163
3-	नैनीताल	5	हल्द्वानी	33551
4-	ऊधमसिंह नगर	6	काशीपुर	23599
		7	रूद्रपुर	26285
5-	पौड़ी गढवाल	8	कोटद्वार	21055
		9	श्रीनगर	9264
6-	अल्मोड़ा	10	अल्मोड़ा	11465
7-	पिथौरागढ़	11	पिथौरागढ़	14778
योग (1) नगर निगम				**321415**
2–नगर पालिका परिषद				
1-	चमोली	1	गोपेश्वर	7395
		2	गौचर	5003
		3	जोशीमठ	8394
		4	कर्णप्रयाग	4650
2-	चम्पावत	5	चम्पावत	4911
		6	लोहाघाट	1883
3-	देहरादून	7	मसूरी	18003
		8	विकासनगर	6956
		9	डोईवाला	13318
		10	हरबर्टपुर	3823
4-	हरिद्वार	11	मंगलौर	11471
		12	लक्सर	6277
		13	शिवालिक नगर	8057
5-	नैनीताल	14	रामनगर	13052
		15	भवाली	4283

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त का अंतरण
1	2	3	4	5
6-	पौड़ी गढ़वाल	16	पौड़ी	9705
7-	पिथौरागढ़	17	धारचूला	4900
		18	डीडीहाट	4900
8-	रूद्रप्रयाग	19	रूद्रप्रयाग	5320
9-	टिहरी	20	मुनिकीरेती–ढालवाला	8030
		21	चम्बा	3361
		22	देवप्रयाग	4953
10-	ऊधम सिंह नगर	23	बाजपुर	7408
		24	जसपुर	12094
		25	सितारगंज	7854
		26	महुआखेड़ा गंज	3766
		27	गदरपुर	5807
		28	नगला	13965
11-	उत्तरकाशी	29	उत्तरकाशी	8798
		30	चिन्यालीसौंण	4651
योग (2) नगर पालिका परिषदें:–				222988
3–नगर पंचायतें:–				
1-	अल्मोड़ा	1	भिक्यासैंण	936
2-	बागेश्वर	2	कपकोट	859
3-	चमोली	3	नन्दप्रयाग	1490
		4	गैरसैंण	2217
		5	पोखरी	1550
		6	थराली	1153
		7	पीपलकोटी	1582
		8	नन्दानगर	1006
4-	चम्पावत	9	बनबसा	930
5-	हरिद्वार	10	सुल्तानपुर आदमपुर	2228
		11	पाडली गुर्जर	3004
		12	इमलीखेड़ा	1625
		13	रामपुर	3756
6-	पौड़ी गढ़वाल	14	जौंक (स्वर्गाश्रम)	2226
7-	टिहरी गढ़वाल	15	कीर्तिनगर	1640
		16	गजा	884
		17	चमियाला	939
		18	घनसाली	1362
8-	नैनीताल	19	कालाढूँगी	1775

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम किश्त का अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9-	ऊधमसिंह नगर	20	महुआडाबरा हरिपुरा	1742
		21	सुल्तानपुर	2180
		22	केलाखेड़ा	2384
		23	दिनेशपुर	2598
		24	शक्तिगढ़	1821
		25	गूलरभोज	1051
10-	उत्तरकाशी	26	पुरोला	2423
		27	नौगॉव	1377
11-	रूद्रप्रयाग	28	गुप्तकाशी	1006
		29	अगस्तमुनि	2155
12-	पिथौरागढ़	30	मुनस्यारी	1067
		31	बेरीनाग	1409
योग (3) नगर पंचायतें				52375
महायोग **(1+2+3)**		72		596778

(रू0 उनसठ करोड़ सडसठ लाख अट्हत्तर हजार मात्र)

Digitally signed by
NAVNEET PANDE
Date: 29-03-2026
17:01:33

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26030070376
आवंटन पत्र दिनांक-29-MAR-2026

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	02-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	624718469	321415000	624718469	946133469
योग	624718469	321415000	624718469	946133469

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.32,14,15,000 (Rupees Thirty Two Crores Fourteen Lacs Fifteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2603:0020
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-1
Govt. of Uttarakhand

P.T.O.

File No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
about:blank
Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 29/03/2026 07:42 pm

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26030070377
आवंटन पत्र दिनांक-29-MAR-2026

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा सम्नुदेशन -	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	04-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	440925939	222988000	440925939	663913939
योग	440925939	222988000	440925939	663913939

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.22,29,88,000 (Rupees Twenty Two Crores Twenty Nine Lacs Eighty Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2603:0021

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-1
Govt. of Uttarakhand

File No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
about:blank
Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 29/03/2026 07:42 pm

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26030070378
आवंटन पत्र दिनांक-29-MAR-2026

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा सम्नुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	06-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	6

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	104080076	52378000	104080076	156458076
योग	104080076	52378000	104080076	156458076

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,23,78,000 (Rupees Five Crores Twenty Three Lacs Seventy Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2603:0022

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-1
Govt. of Uttarakhand

about:blank
File No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 29/03/2026 07:42 pm